No. 7(2)/EV/2016 Government of India Ministry of Finance Department of Expenditure

New Delhi, the 12 February, 2020

CORRIGENDUM

Sub: Central Government Employees Group Insurance Scheme-1980 - Tables of Benefits for the savings fund for the period from 01.01.2020 to 31.03.2020.

Reference is invited to this Department's OM of even no. dated 04.02.2020, on the subject cited above and to say that the para 3 of the said OM may be read as under:

"In their application to the employees of Indian Audit & Accounts Department, these orders are issued after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution".

2. Hindi version is attached.

(Amar Nath Singh)
Director

To

- 1. All Ministries/Department of the Central Government as per standard list.
- 2. Copy with spare copies for information and necessary action to C&AG, UPSC, all State Government etc. as per standard list.

सं.7(2)/ई.V/2016 भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग

नई दिल्ली, ⁄ फरवरी, 2020

शुद्धिपत्र

विषय: केन्द्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना-1980 - 01.01.2020 से 31.03.2020 की अवधि के लिए बचत निधि हेतु टेबल्स ऑफ बेनिफिट्स।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 04.02.2020 के समसंख्या कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ ग्रहण करें और इस संदर्भ में यह कहना है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 को निम्न प्रकार पढ़ा जाए:

"जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत यथा अधिदेशित, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श के बाद जारी किए गए हैं"।

अन्र राज्य दिहें (अमर नाथ सिंह) निदेशक

सेवा में

- 1. सभी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार मानक सूची के अनुसार।
- 2. सी एंड एजी, यूपीएससी, सभी राज्य सरकार आदि को मानक सूची अनुसार, आवश्यक कार्रवाई हेतु अतिरिक्त प्रतिलिपियों के साथ प्रतिलिपि।